संख्या:34/2023/606/12-2-2023-11/2018

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2023

विषय:- अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई0आर0आर0आई0) के 'इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर (आई0एस0ए0आर0सी0) को जनपद वाराणसी को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/2148-जी/भू0हस्ता0/2022-23 दिनांक 16 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई0आर0आर0आई0) के 'इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर (आई0एस0ए0आर0सी0) जनपद वाराणसी को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या: 7/2018/977/12-2-2018-11/2018 दिनांक 26 मार्च, 2018 के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई0आर0आर0आई0) के 'इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर (आई0एस0ए0आर0सी0) की स्थापना हेतु कृषि विभग के सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र (आर0ए0टी0डी0सी0), वाराणसी की 5.00 हेक्टेयर (12.50 एकड़) भूमि रूपये 1000 वार्षिक दर पर 30 वर्ष के लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई0आर0आर0आई0) के 'इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर (आई0एस0ए0आर0सी0), वाराणसी को कृषि विभाग के सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, (आर0ए0टी0डी0सी0), वाराणसी की निम्नानुसार अंकित अतिरिक्त 0.932 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि वार्षिक दर रू0 1000.00 पर 25 वर्ष की अवधि के लिए (जिससे कि पूर्व एवं नवीन लीज की अवधि समान वर्ष पर रहे) लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1.	प्लॉट संख्या-ए-15 (आंशिक)	-	3689.45 वर्गमीटर
2.	प्लॉट संख्या-ए- 5 (आंशिक)	-	3092.42 वर्गमीटर
3.	प्लॉट संख्या-ए- 4 (आंशिक)	-	2534.45 वर्गमीटर
	कुल क्षेत्रफल	=	9316.32 वर्गमीटर (0.932 हे0)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. उक्तानुसार हस्तानान्तरित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(1) बाढ़, सूखा एवं जलवायु परिवर्तन जैसी विपरीत परिस्थितियों में बेहतर परिणाम देने वाली धान की नयी प्रजातियों का विकास।

(2) देश/प्रदेश की धान की स्थानीय प्रचलित प्रजातियों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता का विकास।

(3) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में धान की खेती हेतु समुचित फसल प्रबंधन तकनीक का विकास।

(4) धान की नयी प्रजातियों के प्रमाणित बीज उत्पादन एवं शोध कार्यों में सहयोग।

उक्त से अवगत होते हुए कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 34/2023/606(1)/12-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/3/6/2023-सी0एक्स0(1) दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में।

(2) श्री सुधांशु सिंह, निदेशक, इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर (आईएसएआरसी), एनएसआरटीसी कॉम्प्लेक्स, जीटी रोड, कलेक्ट्री फॉर्म, पोस्ट आफिस-इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।